दां.प्रकी.(जमा.) 4376/2004

07.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विजय राजपुरोहित,
जन अभियोजक श्री ओ.पी. राठी उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि अभियुक्त जगदीश प्रसाद के कब्जे से पांच किलो डोडा चूरा अफीम बरामद की गई है जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है और धारा 37 के स्ट्रीक्ट प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा न ही फरार होगा, अत: उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। चूंकि अभियुक्त से जो माल की बरामदगी हुई है वह वाणिज्यिक मात्रा से कम है, बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी जगदीश प्रसाद पुत्र कल्याणमल पारीक योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा